( राजस्थान–सरकार )

# न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, बारॉ (राज.)

पीठासीन अधिकारी भंवर लाल जनागल(आर.ए.एस.)

**प्रकरण संख्या :– 17/2025**

**पंजीकरण संख्या :– 2025/60**

**बउनवान**

रामकुंवार पुत्र श्री चतुर्भुज जाति मीणा निवासी ग्राम बानपुर तहसील अटरू जिला बारां (राज.)

**(अपीलांट)**

**बनाम**

1. नरेश कुमार पुत्र कजोडी बाई जाति मीणा निवासी बाणगंगा तहसील अटरू जिला बारां(राज.)
2. पिंकेश कुमार पुत्र कजोडी बाई जाति मीणा निवासी बाणगंगा तहसील अटरू जिला बारां(राज.)
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार अटरू जिला बारां (राज.)

**(रेस्पोडेन्टगण)**

**अपील विरूद्ध तहसीलदार, अटरू द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 183(बी) आर.टी.एक्ट, 1955 प्रकरण संख्या 04/2023 मे पारित निर्णय दिनांक 01.10.2024 की अन्तर्गत धारा 225 आर.टी.एक्ट के तहत**

उपस्थित :– 1– श्री सुरेन्द्र मीणा अभिभाषक (अपीलांट)
2– श्री बृजराज सिंह चौहान अभिभाषक (रेस्पो. क्र. 01 व 02)
3– पेरोकार सरकार (रेस्पो. क्रम 03)

## निर्णय दिनांक 05.12.2025

अपीलांट द्वारा जरिये विद्वान अभिभाषक अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, अटरू के प्रकरण संख्या 04/2023 किस्म प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 183(बी) आर.टी.एक्ट बउनवान नरेश वगैराह बनाम रामकुंवार मे पारित निर्णय दिनांक 01.10.2024 से अप्रसन्न होकर अपील विरूद्व रेस्पोडेन्टगण के अन्तर्गत धारा 225 आर.टी.एक्ट के तहत इस न्यायालय मे प्रस्तुत की गई।

अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील दिनांक 21.07.2025 को दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्टगण को जर्ये सम्मन तलब किया गया और अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, अटरू से मूल पत्रावली तलब की गई जो प्राप्त होने पर संलग्न पत्रावली की गई। रेस्पो. क्रम 01 व 02 द्वारा जरिये अभिभाषक उपस्थिति दी गई। रेस्पो. क्रम 03 की ओर से पेरोकार सरकार उपस्थित है। प्रकरण में उभयपक्ष की अंतिम बहस सुनी गई।

**अपीलांट के अभिभाषक** द्वारा प्रस्तुत अपील के तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि रेस्पोडेन्ट क्रम 01 व 02 अनुसूचित जनजाति के सदस्य है। रेस्पो. क्रम 01 व 02 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया है कि रेस्पो. क्रम 01 व 02 के खातेदारी की कृषि भूमि ग्राम बानपुर में स्थित है। आराजी खाता संख्या 75 के खसरा नं. 668 रकबा 1.22 हेक्टर रेस्पोडेन्ट क्रम 01 व 02 के खाते दर्ज रिकार्ड है। उक्त आराजी पर अपीलांट ने जानबूझकर जबरदस्ती जातीय कारण से रेस्पो. क्रम 01 व 02 की इच्छा के विपरीत व बिना इजाजत के कब्जा कर लिया है। इस कारण रेस्पो. क्रम 01 व 02 को आर्थिक क्षति उठानी पड़ रही है। अंत में अनुतोष चाहा गया है कि अपीलांट को रेस्पो. क्रम 01 व 02 की आराजियात से बेदखल कर कब्जा रेस्पो. क्रम 01 व 02 को दिलवाया जावे। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय पारित कर अपीलांट को आराजी खाता संख्या 75 के खसरा नं. 668 रकबा 1.22 हेक्टर से बेदखल करने के आदेश जारी किये जो खिलाफ कानून व पत्रावली पर आये तथ्यों के विपरीत होने से निरस्तनीय है।

उक्त आराजी पूर्व में अमरलाल पुत्र श्री भोजा मीणा निवासी बाणगंगा तहसील अटरू के खाते दर्ज थी जो सन् 1970 में 52 वर्ष पूर्व अमर लाल द्वारा अपीलांट को रूबरू गवाहान बेचान कर कब्जा संभला दिया था तथा तब से ही उक्त आराजी पर अपीलांट काबिज काश्त करता चला आ रहा है। रेस्पो. क्रम 01 व 02 खातेदार अमर की पुत्री कजोडी के पुत्रगण है। उक्त आराजी का अपीलांट विपरीत कब्जे के आधार पर व क्रय करने के कारण खातेदार हो चुका है। रेस्पो. क्रम 01 व 02, अपीलांट को उक्त आराजियात से बेदखल कराने के वैधानिक अधिकारी नहीं

है क्योंकि उक्त आराजी को सन् 1970 में मुख्य खातेदार अमर लाल ने अपीलांट को 1000/–रूपये बीघा के हिसाब से 8000/–रूपये में विक्रय कर कब्जा एवं दखल संभला दिया गया है। तभी से आज तक उक्त आराजी पर अपीलांट बहैसियत खातेदार व कब्जे चला आ रहा है। रेस्पो. क्रम 01 व 02 पारिवारिक सजरे के मुताबिक गलत तरीके से खातेदार दर्ज हो गये है जबकि मीणा जाति में विवाहित पुत्री उसके पिता की सम्पत्ति में कोई अधिकार प्राप्त नहीं होते है। इसलिये अपीलांट रेस्पो. क्रम 01 व 02 की खातेदारी निरस्त करवाने का अधिकारी एवं नालिसी नहीं है। अपीलांट ने कभी भी उक्त आराजी को रेस्पो. क्रम 01 व 02 से मुनाफा काश्त से नहीं जोयी है और न हीं रामकल्याण ने उक्त आराजी पर कृषित काश्त की है अपितु अपीलांट उक्त आराजी पर सन् 1970 अर्सा 52 साल से निष्कंटक खेती काश्त करता चला आ रहा है तथा उक्त आराजी पर अपीलांट को खातेदार अधिकार परिपक्व भी हो चुके है। राजस्व अधिकारियों की गलती से रेस्पो. क्रम 01 व 02 का नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज होने से उनके मन में बदनीयती आ गई है तथा रेस्पो. क्रम 01 व 02 अपीलांट से उक्त आराजी को छीनने पर आमादा है। उक्त प्रकरण में धारा 42 व धारा 42 ख व धारा 46 के प्रावधान भी लागू नहीं होते है क्योंकि अपीलांट व रेस्पो. क्रम 01 व 02 अनुसूचित जनजाति के सदस्य है। अधीनस्थ न्यायालय को उक्त प्रार्थना सुनने का अधिकार प्राप्त नहीं होने के बावजूद भी उक्त प्रार्थना पत्र पर सुनवाई कर उक्त निर्णय पारित किया गया है। अपीलांट अपने खातेदारी अधिकारों की घोषणा का वाद माननीय उपजिला कलक्टर, अटरू में पेश कर रहा है जिसका कानूनी बिंदुओं के आधार पर तथा पूरी सुनवाई के बाद खातेदारी अधिकारों की घोषणा हो जावेगी क्योंकि अपीलांट का उक्त आराजी पर करीबन 52 वर्षों से निरंतर कब्जा काश्त चला आ रहा है।

अतः अपील पेश कर निवेदन है कि अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व आदेश दिनांक 01.10.2024 को पारित निर्णय व आदेश निरस्त फरमाया जावे।

**प्रकरण में रेस्पोडेन्ट क्रम 01 व 02 के अभिभाषक द्वारा** दौराने बहस कहा गया कि जमाबंदी संवत् 2071–2074 के अनुसार उक्त विवादित भूमि ग्राम बानपुर के आराजी खसरा नं. 668 रकबा 1.22 हे0 रेस्पो. क्रम 01 व 02 के खातेदारी की भूमि है। उक्त भूमि अपीलांट को मुनाफा काश्त पर दी गई थी जिसका समय दिनांक 10.06.2022 को समाप्त हो गया था किंतु उसके द्वारा उक्त भूमि की मुनाफा राशि देने से एवं उक्त भूमि से कब्जा हटाने से इंकार करने पर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, अटरू में प्रार्थना पत्र रेस्पो. क्रम 01 व 02 द्वारा प्रस्तुत किया गया जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पटवारी हल्का की रिपोर्ट दिनांक 01.05.2023 को ली गई एवं अपीलांट को जवाबदेही का अवसर दिया जाकर बयान लिए गये। प्रकरण में अंतर्गत धारा 183(बी) आर.टी. एक्ट के प्रावधानों के अनुरूप विधिवत् प्रार्थना पत्र प्रकरण संख्या 04/2023 पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर निर्णय दिनांक 01.10.2024 रेस्पो. क्रम 01 व 02 के पक्ष में पारित किया गया एवं दिनांक 16.05.2025 को विवादित आराजी पर रेस्पो. क्रम 01 व 02 के पिताजी को सीमाज्ञान करवाया जाकर कब्जा संभला दिया गया है। अपील अपीलांट खारिज की जावे।

**प्रकरण में उभयपक्ष के अभिभाषक** की बहस सुनी गई। प्रकरण मे अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, अटरू से प्राप्त मूल पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपीलांट के अभिभाषक का कथन है कि उक्त विवादित भूमि ग्राम बानपुर के आराजी खाता संख्या 75 के खसरा नं. 668 रकबा 1.22 हेक्टर पूर्व में अमरलाल पुत्र श्री भोजा मीणा निवासी बाणगंगा तहसील अटरू के खाते दर्ज थी जो सन् 1970 में 52 वर्ष पूर्व अमर लाल द्वारा अपीलांट को रूबरू गवाहान 1000/–रूपये बीघा के हिसाब से 8000/–रूपये में विक्रय कर कब्जा एवं दखल संभला दिया गया है। तभी से आज तक उक्त आराजी पर अपीलांट बहैसियत खातेदार व कब्जे चला आ रहा है। रेस्पो. क्रम 01 व 02 पारिवारिक सजरे के मुताबिक गलत तरीके से खातेदार दर्ज हो गये है जबकि मीणा जाति में विवाहित पुत्री को उसके पिता की सम्पत्ति में कोई अधिकार प्राप्त नहीं होते है। अपीलांट उक्त आराजी पर सन् 1970 अर्सा 52 साल से निष्कंटक खेती काश्त करता चला आ रहा है तथा उक्त आराजी पर अपीलांट को खातेदार अधिकार परिपक्व भी हो चुके है। राजस्व अधिकारियों की गलती से रेस्पो. क्रम 01 व 02 का नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुआ है। उक्त प्रकरण में धारा 42 व धारा 42 ख व धारा 46 के प्रावधान भी लागू नहीं होते है क्योंकि अपीलांट व रेस्पो. क्रम 01 व 02

अनुसूचित जनजाति के सदस्य है। इसके विपरीत रेस्पोडेन्ट के अभिभाषक का मुख्य कथन है कि जमाबंदी संवत् 2071–2074 के अनुसार उक्त विवादित भूमि ग्राम बानपुर के आराजी खसरा नं. 668 रकबा 1.22 हे0 रेस्पो. क्रम 01 व 02 के खातेदारी की भूमि है जिस पर अपीलांट का कोई अधिकार नहीं है।

**प्रकरण में** अपीलांट के अभिभाषक अपने कथनानुसार विवादित भूमि सन् 1970 में क्रय किया जाना बताया है किंतु अपने पक्ष समर्थन में उक्त विवादित भूमि को क्रय किए जाने संबंधी कोई दस्तावेज प्रस्तुत करने में असमर्थ रहे है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, अटरू द्वारा पारित निर्णय की पालना भी हो चुकी है।

अतः उपरोक्त विवेचन के अनुसार अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, अटरू द्वारा उनके न्यायालय के प्रकरण संख्या 04/2023 किस्म प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 183(बी) आर.टी.एक्ट बउनवान नरेश वगैराह बनाम रामकुंवार मे पारित निर्णय दिनांक 01.10.2024 यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक **05.12.2025** को मेरे द्वारा सरे इजलास सुनाया गया।

**( भंवर लाल जनागल )**
**अति0 जिला कलक्टर,**
**बारॉ**